263

387

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0) प्र.क्रमांक R-5490-दो/16

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित

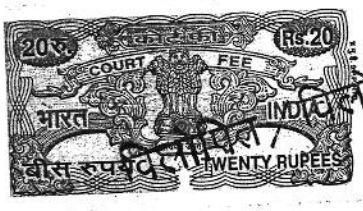

सुनील अग्रवाल तनय श्री वृन्द्रावन अग्रवाल निवासी बिरसिंहपुर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना (म0प्र0) --------आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

1. म0प्र0 शासन
2. सत्यनारायण गौतम पिता श्री जगन्नाथ गौतम निवासी ग्राम पगारकला तहसील तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना (म0प्र0)

-------आपत्तिकर्ता/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी बिरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिंहपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक – 1अ5/15-16 आदेश दिनांक 12/09/2016.

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :-

1. यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता सुनील अग्रवाल ने नायब तहसीलदार वृत्त जैतवारा के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पगारकला की आराजी नं0- 993/1 रकवा 0.173हे0 यानी 43 ढिसमिल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक – 863 दिनांक 22/10/2014 को तत्कालीन भूमिस्वामी बलबन्त कुम्हार से क्रय किया था। विक्रय पत्र में चौहद्दी निम्नानुसार लिखाई गई थी उत्तर चुकईया कोटवार की आराजी दक्षिण रामजी प्यासी एवं राजेन्द्र प्रजापति की आराजी पूर्व कारीगोही जाने का रास्ता (रोड़) पश्चिम् सत्यनारायण गौतम की आराजी स्थित है। उक्त चौहद्दी के अनुसार आवेदक मौके से उक्त भूमि पर काबिज भी है उक्त भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन आवेदक द्वारा दिया गया था तो राजस्व निरीक्षक द्वारा मौखिक एवं लिखित दिनांक 10/09/2015 को बताया गया कि उक्त भूमि पूर्व से तरमीम है यह तरमीम किसी सक्षम् अधिकारी द्वारा तरमीम की जानी प्रतीत नही होती है तथा किसी अदेश का हवाला भी पेश

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमाक R 5490-II/16 जिला सतना

सुनील अग्रवाल विरूद्ध शासन, सामान्य

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार/ नायब तहसीलदार~~ तहसील बिरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 12-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	